स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्रोत पृथक्करण प्रशिक्षण
(Source Segragation Training)

गीला कचरा और सूखा कचरा अलग – अलग रखें।

घर में किया गया यह छोटा सा प्रयास, हमारे स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है व प्रकृति को भी स्वच्छ रखता है।

नगर निगम, अलवर

क्या हम कचरे को **सही तरीके** से अलग कर रहे हैं?

सोर्स सेग्रीगेशन क्या है?

- कचरा उत्पन्न होने वाले स्थान पर ही उसे अलग–अलग श्रेणियों के डस्टबिन में डालना जैसे कि सूखा और गीला कचरा।

सोर्स सेग्रीगेशन क्यों जरूरी है?

- संशाधित करना आसान हो जाए।
- रिसाईक्लिंग, रियूज और कंपोस्टिंग आसान हो जाए।
- प्रदूषण को कम किया जा सके।

सोर्स सेग्रीगेशन में हमें क्या करना चाहिए?

- हमें अपने घर में 2 डस्टबिन नीला एवं हरा रखना चाहिए।
- गीले कचरे को हरे डस्टबिन में ही डालना चाहिए।
- सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डालना चाहिए।
- कचरा, गाडी के अलग–अलग कम्पार्टमेंट में ही डालना चाहिए।

सामान्य जानकारी

- **गीला कचरा किसे कहते हैं ?**

  गीला कचरा बायोडिग्रेडेबल होता है। यह कचरा समय के साथ प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाता है और वापस पर्यावरण में मिल जाता है।

- **सूखा कचरा किसे कहते हैं ?**

  सूखा कचरा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। यह कचरा प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है और पर्यावरण में हानिकारक प्रभाव छोड़ता है।

- **गीला कचरा में क्या शामिल है ?**

  बचा हुआ भोजन, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, अण्डे के छिलके, मांसाहारी भोजन के अवशेष, कटी हुई घास, पौधों की टहनियाँ, सूखे फूल व पत्तियाँ।

- **सूखा कचरा में क्या शामिल है ?**

  कागज, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, गत्ते का सामान, कांच की बोतलें, बर्तन, प्लास्टिक का सामान, रबर से बना सामान, पुराना फर्नीचर, पुराने कपड़े, गलीचे, पुराने जूते, बैग, खिलौने, कम्प्यूटर, मोबाइल, चार्जर, इलैक्ट्रोनिक व इलैक्ट्रीकल उपकरण।

- **गीला कचरा किस रंग के डस्टबिन में डालना चाहिए** ?

  हरा डस्टबिन।

- **सूखा कचरा किस रंग के डस्टबिन में डालना चाहिए ?**

  नीला डस्टबिन।

- **घर/दुकान का कचरा कहाँ डालना चाहिए ?**

  घर/दुकान का कचरा हरे और नीले डस्टबिन में डालना चाहिए। और डस्टबिनों का कचरा प्रतिदिन आने वाले ऑटो टिपर के हरे और नीले कम्पार्टमेंट/भाग में अलग–अलग डालना चाहिए।

- **सफाई, रोड़ लाईट और ऑटो टिपर संबंधित शिकायत हम कहां कर सकते हैं ?**

  सफाई, रोड़ लाईट और ऑटो टिपर संबंधित शिकायत "क्लीन अलवर पोर्टल" पर अथवा नगर निगम कार्यालय में कर सकते हैं।

- **नगर निगम अलवर के नियंत्रण कक्ष का फोन नम्बर क्या है ?**

  0144–2700466

स्वच्छता शपथ

- महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।
- महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया।
- अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।
- मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा।
- हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा।
- मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा।
- सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा।
- मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं।
- इस विचार के साथ मैं गांव–गांव और गली–गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।
- मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा।
- वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा।
- मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

आओ हम सब प्रण करें, घर पर ही कचरा अलग करें।

धन्यवाद!